5.11.2019	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी मनफूल पुत्र लेखराम की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज बिश्नोई ने पेश किया। जो सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम मनफूल पुत्र लेखराम अंकित है जबकि वाके रोही पारवा के खेत खसरा नम्बर 301 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 3.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 3.83 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 9.44 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम फुलाराम पुत्र लेखराम अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही पारवा के खेत खसरा नम्बर 301 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 3.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 3.83 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 9.44 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम फुलाराम के स्थान पर मनफूल दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया। 5/11/19 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.09 17:09:34 IST
Reason: SelfAttested